न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0–213/2012

CIS NO. TS 232/2018

आरून्ती देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभुषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
29.10.2024	उभय पक्षो की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 12.12.2023 संबंधित आदेश 13 नियम 01 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद वादिनी ने अर्जे नालिश के मद सं0–01 की एराजी पर अपनी हकियत की घोषणा हेतु लाया है। प्रतिवादी के द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा था परंतु दो तिथि तक प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य नहीं दिये जाने के कारण प्रतिवादी का साक्ष्य दिनांक 05.06.2023 को बंद कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य बंद के आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन दिनांक 23.06.2023 को दिया गया जिसे श्रीमान् के द्वारा अस्वीकृत करते हुए अभिलेख बहस हेतु नियत किया गया है। प्रतिवादी के विद्वज्ञन अधिवक्ता द्वारा नकल प्राप्त कर अभिलेख का अवलोकन किया गया तो पता चला कि प्रतिवादी की ओर से कोई भी कागजात प्रदर्श अंकित नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में जो कागजात दाखिल किया गया है वह मूल कागजात नहीं है बल्कि मूल का छायाप्रति है। प्रतिवादी को अपना पुरा दावा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने पर पहले ही न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया है। यदि प्रस्तुत कागजातों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तो प्रतिवादी पूर्णरूप से न्याय पाने से वंचित हो जायेगा तथा प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादी के निम्न दस्तावेजों को स्वीकार कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादिनी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 05.03.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0–213/2012

CIS NO. TS 232/2018

आरून्ती देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभुषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

लगातार 29.10.2024	कि प्रतिवादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वादिनी को महिला समझ तंग तबाह करने एवं वर्तमान वाद को लंबित करने के उद्देश्य से वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी द्वारा जिन जिन कागजातों को स्वीकृत कर प्रदर्श अंकित करने का निवेदन किया गया है उसमें वर्णित मूल शपथ पत्र नृपेन्द्र पाण्डेय बनाम शशिभुषण पाण्डेय, आवसीय मूल प्रमाण पत्र एवं बिजली बिल रसीद लोक दस्तावेज के श्रेणी में नहीं आता है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में प्रतिवादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.12.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत करते हुए आवेदनानुसार दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें। अभिलेख दिनांक 23.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मंसिफ नरकटियागंज	